तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री ईश्वर देवडा अभिभाषक प्रार्थी ।
(2) श्री अशोक नाथ, अभिभाषक अप्रार्थी ।

निर्णय **दिनांकः 9.01.2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोडगढ के निर्णय दिनांक 14–9–05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार वादिया / अप्रार्थी संख्या एक ने दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम असावरा तहसील भदेसर में स्थित आराजी खसरा नंबर 591 / 1, 660 / 2, 684 / 1, 685 / 1, 691 कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 17बिस्वा के मूल खातेदार भैरुलाल पुत्र नाथू नाई थे उनकी मृत्यु के बाद वादिया / अप्रार्थीया विवादित आराजी पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है। अन्त में वाद पेश कर दावा डिक्री कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया साथ ही दावा के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की।

3– विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 212 आरटीए पर उभयपक्ष की बहस सुन कर अपने आदेश दिनांक 3–8–04 द्वारा वादिया / अप्रार्थी के प्रार्थनापत्र को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए दोनो पक्षो को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण ने एक अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे उन्होने अपने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिनांक 14–9–05 द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णयों के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या एक खातेदार हैं। वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है जिसे दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णयों में माना है। चूँकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीया संख्या एक सहखातेदार है और कानूनन स्थिति स्पष्ट है कि सहखातेदार की भूमि पर सभी सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। ऐसीस्थिति में सहखातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है फिर भी विद्वान दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी स्थिति को नजरअन्दाज करते हुए एक सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया गया। 5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया ने प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और निवेदन किया प्रार्थी स्व0 नाथू की पुत्रि है । प्रार्थीया विवादित आराजी को हस्तान्तरण करना चाहती है। इसलिए विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे रखे जाने का जो आदेश दिया है वह उचित है तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–8–04 के विरुद्ध अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा आदेश को यथावत रख कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया। 6– विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया। 7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजी स्व. नाथू के खातेदारी की थी और कान्ता का पति भेरुलाल उसका पुत्र व अप्रार्थीया जानी व परथी उसकी पुत्रियॉ है। पर्चा मौका के अनुसार विवादित आराजी वादिया / अप्रार्थीया एंख्या एक की देखरेख में होकर कब्जा भी उसका बताया है तथा प्रार्थीया जानी व परथी को विवाहित होकर अपने ससुराल में रहती है, बताया है। चूॅकि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, जिसमें दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूत लेकर दावे का अन्तिम निस्तारण होना शेष है। यदि दावा के दौरान विवादित आराजी किसी प्रकार से रहन,बय हो जाती है या मौके पर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद पैदा होगे तथा दावे में जटिलता बढेगी । ऐसीस्थिति में विद्वान दोनो अधीनस्थ न्यायालय ने दावा के निर्णय होने तक विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के जो आदेश पारित किये है, कानून सम्मत है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश समवर्ती है, जिनमें हम हस्तगत निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। फलस्वरुप हस्तगत निगरानी सारहीन व आधार हीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 8— अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोजकुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी/टी.ए./699/2006/चित्तोडगढ

जानी बाई बनाम कान्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी / टी.ए. / 699 / 2006 / चित्तोडगढ

जानी बाई बनाम कान्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी / टी.ए. / 699 / 2006 / चित्तोडगढ

जानी बाई बनाम कान्ता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए